# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर।

**पीठासीन अधिकारी, श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर0ए0एस0**
**अपील संख्याः–215/2015 (2015/00132)223/केकड़ी**

1. बजरंग मुतबना छोगा जाति खाती निवासी काचरिया तहसीलकेकड़ी जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. गंगा पुत्री छोगा जाति खाती निवासी काचरिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

**अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.05.2015, वाद संख्या 219/2004.**

उपस्थितः–

1. श्री शिव प्रकाश चौधरी एड़वोकेट अपीलांट की ओर से।
2. श्री आर.पी.शर्मा एड़वोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से।
3. श्रीधर्मवीर चौधरी, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से।

## निर्णय

दिनांकः– 16.04.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.05.2015, वाद संख्या 219/2004 के विरूद्ध प्राप्त हुई है।
2. अपील संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 वादीया ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् आराजी मुतनाजा संख्या 101 व 100 के खसरा नम्बर 412, 432, 646 व खाता संख्या 111, 110 के खाता संख्या 417 व 429 वाकै ग्राम काचरिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित है। जिसके जमाबंदी सम्वत 2041 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 412, 432, 646, 417, 429 कायम किये गये है। वादिया की वर्णित आराजी वाकै ग्राम काचरिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर की जमाबंदी संख्या 2068 से 2071 के खाता संख्या 129 में दर्ज खसरा नम्बर 412, 432, 646 रकबा क्रमशः0.39 है0, 0.69 है0, 0.58 है0 तथा खाता संख्या 167 में दर्ज खसरा नम्बर 417 रकबा 0.04 गैरमुमकिन चाह तथा खसरा नम्बर 429 रकबा 0.04है0 गै.मु.चाह है जो खाता संख्या 129 में प्रतिवादी संख्या 01 बजरंग लाल मुतबन्ना छोगा जाति खाती के नाम से दर्ज है। वर्णित आराजीयात छोगा जाति खाती निवासी काचरिया के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात थी तथा जिनकी मृत्यु के पश्चात उनके वारिसान के कब्जे काश्त व खातेदारी में चली आ रही थी व उक्त वर्णित आराजीयात में खाता संख्या 101,100 की आराजी के छोगा के हिस्स में थी तथा 111,110 की आराजी में छोगा का 1/2 हिस्सा निहित था। बजरंग भुवाना का ही एक मात्र पुत्र है तथा आज तक समस्त रेकार्ड में भी भुवाना के पुत्र की भांति चला आ रहा है लेकिन राजस्व रेकार्ड जमाबंदी सम्वम 2041 में बिना किसी आधार के बजरंग लाल मुतबन्ना छोगा जाति खाती बताते हुए छोगा की मृत्यु के उपरान्त बजरंग लाल का नाम खाते में इन्द्राज कर दिया गया है। बजरंग लाल को कभी भी छोगा द्वारा गोद नहीं लिया गया तथा न ही कानूनन गोद गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

प्रतिवादी संख्या 01 बजरंग लाल उक्त अवैध इन्द्राजात के आधार पर विवादित आराजी को खुर्दबुर्द करने विक्रय करने पर आमादा हैं तथा वादीनी को जबरन आराजी से बेदखल करना चाहते है जिस कारण भी यह स्थायी निषेधाज्ञा का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण पेश किया गया। अन्त में प्रार्थना की गयी कि विवादित आराजी का वादीनी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किया जाकर जमाबंदी बनायी जाकर मालगुजारी कायम की जावे व अन्य अंकन विलोपित किया जाकर रेकार्ड सही किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 01 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि वादीनी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करे। उक्त वाद पत्र को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.05.2015 को स्वीकार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,केकड़ी के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.05.2015 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया एवम अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलबी की गयी। रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 2 की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुए। तत्पश्चात अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4. अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि विवादित आराजी का नामान्तकरण स्वंय वादीया की जानकारी में दिनांक 08.05.1987 को तस्दीक किया गया जिसकी वादीया ने गत् 18 सालों में कोई अपील प्रस्तुत नहीं की व गैर कानूनी तौर पर अचानक दिनांक 06.08.2004 को असत्य कथनों के आधार पर अपीलांट को गोद पुत्र नकारते हुए वाद प्रस्तुत किया है जब छोगा का देहान्त हुआ था उस समय वादिया 3 साल की थी व वादीया व उसकी माता धापू की सारी सेवा सुश्रुषा अपीलांट ने ही की व छोगा की मृत्यु पर उसकी क्रिया–करम का सारा खर्चा अपीलांट के पिता ने वहन किया व स्वंय धापू जो की वादीया की माता थी ने दत्तक पुत्र होने के नाते पगड़ी अपीलांट बजरंग से बंधवाई व सभी साक्ष्यों से बजरंग का छोगा दत्तक पुत्र होना पूर्णतया साबित है, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने गैर कानूनी तौर पर अपीलांट को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना छोगा का गोद पुत्र न होना मानते हुए अपीलांट का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित करने का आदेश पारित किया है जो विधि सम्मत नही है।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट छोगा का दत्तक पुत्र है व राजस्व रिकार्ड में भी अपीलांट का नाम दत्तक पुत्र की हैसियत से दर्ज चला आ रहा है व स्वंय विपक्षी वादीया ने भी उसके द्वारा निष्पादित बैनामा दिनांक 09.6.1997 जो रामेश्वर लाल पुत्र कल्याण के पक्ष में निष्पादित किया है उसमें अपीलांट को छोगा का गोद पुत्र स्वीकार करते हुए खसरा नम्बर 187 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि का विक्रय रामश्वेर लाल को किया है व उसके अलावा स्वंय विपक्षी ने 5/– रूपये के स्टाम्प पर आराजी मुतनाजा का बंटवारा भू–प्रबन्ध विभाग से करवा कर आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर 412, 432, 646 की भूमि को अपीलांट के नाम दर्ज करवाया हैं इन सभी तथ्यों को नजर अंदाज कर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को छोगा दत्तक पुत्र न होना मानते हुए विपक्षी वादी का वाद डिक्री कर अपीलांट का नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित करने का गैर कानूनी आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकर फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.05.2015 को निरस्त फरमाया जावे।

5. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने दौरान बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने तनकी संख्या 01 को सिद्व करने हेतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है मात्र छोगा की सेवा सुश्रुषा के आधार पर अपने आप को गोद पुत्र बताया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे सलंग्न विधान

सभा क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में बजरंग लाल के पिता का नाम भुवाना दर्ज है। बजरंग लाल ने गोद जाने बाबत् कोई साक्ष्य व सबूत पेश नहीं किये है जबकि गोदनामा बाबत् गोद लेना एवं गोद देना (Giving and Taking Ceremony) सम्बन्धी साक्ष्य का अभाव है, जो किसी भी गोदपुत्र के संदर्भ में प्रमाणित होने के लिए आवश्यक है। विवादित आराजी छोगा की स्वअर्जित आराजी नहीं थी वह पैत्रृक भूमि थी इसलिए छोगा को किसी को भूमि विरासत मे या गोद पुत्र के आधार पर नहीं दी जा सकती है। स्वंतत्र गवाह में रामप्यारी पुत्री भुवाना ने भी यह स्वीकार किया है कि छोगा के कोई जायन्दा पुत्र नही था एक लड़की गंगा है इसके अलावा कोई वारिस नही है। बजरंग लाल मेरे पिता भुवाना का एक मात्र पुत्र है जो दो जगह की जायदाद का हकदार नहीं हो सकता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सजरे के अनुसार छोगा के एकमात्र वारिस गंगा ही है इसलिए विवादित आराजी गंगा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होनी चाहिए थी। केवल जमाबंदी सम्वत् 2058 में बिना किसी आधार के राजस्व कर्मचारियों की गलती से मृतक छोगा की समस्त आराजीयात बजरंग लाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दी गयी जिसको उनको कोई अधिकार नही था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज की जावे।

6. हमने उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। ग्राम काचरिया तहसील केकड़ी स्थित अपीलाधीन भूमियॉ की खातेदारी में दर्ज थी एवं विरासत नामान्तकरण संख्या 27 दिनांक 23.05.1987 से मु.धापू के स्थान पर गंगा पुत्री छोगा एवं बजरंग लाल मुतबन्ना छोगा दर्ज की गई तत्पश्चात गंगा व बजरंग लाल के मध्य विभाजन होने से विभाजन नामान्तकरण संख्या 28 दिनांक 23.05.1987 तस्दीक किया गया है। वादिया द्वारा इतने वर्षो के उपरान्त वाद पत्र में कथन किया कि बजरंग लाल, छोगा का दत्तक पुत्र नहीं है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 16.02.2015 को पी.डब्ल्यू.01 की जिरह प्रतिवादी पक्ष द्वारा पूर्ण की गई तथा बकाया जिरह हेतु दिनांक 30.03.2015 को पत्रावली नियत की गई है। इसके पश्चात दिनांक 21.05.2015 को सील लगाकर पत्रावली लोक अदालत में दिनांक 27.05.2015 को रखी गई परन्तु प्रतिवादी को अपनी साक्ष्य अथवा बचाव प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया एवं न ही पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी में रखी गई बल्कि पत्रावली सीधे ही लोक अदालत में रखी जाकर, बहस सुनकर निर्णित कर दी गई जिसे विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। वाद के सभी पक्षकारों को अपना बचाव व पक्ष रखने का पूर्ण विधिक अधिकार है। अधी0न्याया0 द्वारा बिना अपीलाट/प्रतिवादी की साक्ष्य लिये सीधे ही बहस सुनकर निर्णय कर दिया जो न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से विधि संगत नहीं माना जा सकता हैं। अपील पत्रावली पर अपीलांट द्वारा गंगा पुत्री छोगा एवं बजरंगलाल मुतबन्ना छोगा द्वारा संयुक्त रूप से खसरा नंबर 187 रकबा 2–1–00 रामेश्वरलाल पुत्र कल्याण जाट को विक्रय किये जाने बाबत् विक्रय पत्र की प्रति प्रस्तुत की है इसके साथ ही एक अलग से 3/–रू0 स्टाम्प पर पक्षकारान द्वारा लिखित तहरीर की प्रति प्रस्तुत की है । नामांतकरण संख्या 28 दिनांक 23.5.1987 की प्रति प्रस्तुत की है एवं जमाबदी की प्रति भी प्रस्तुत की है जिसके परिप्रेक्ष्य में अधी0न्याया0 द्वारा पक्षकारों के मध्य गोद संबंधी तथ्य को प्रतिवादी द्वारा साबित किया जाना शेष है परन्तु इस संबंध में प्रतिवादी को बिना साक्ष्य का अवसर दिये सीधे ही बहस सुनकर आदेश पारित किया जाना विधिसंत नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री खारिज योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी का निर्णय व डिक्री दिनांक 27.5.2015 खारिज किया जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को उपरोक्त विवेचन के क्रम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

16/4/19

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. आदेश आज दिनाक 16.4.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इंजलास सुनाया गया ।

16/4/19

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर